हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

जून 19, 1987

संख्या सा०का०नि० 5/संविधान अनुच्छेद 309/87.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा स्वास्थ्य विभाग दंत्य (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग—I—सामान्य

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग दंत्य (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1987, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं ।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो ,

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अप्रिाय है —

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि–पत्र (डिप्लोमा), या प्रमाणपत्र की दशा में पंजाब सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; अथवा

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालिय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ; और

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग दंत्य (ग्रुप ख) सेवा ।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या और स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद होंगे और सेवा के सदस्य उनके सामने उल्लिखित वेतनमान में वेतन लेंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता अधिवास तथा चरित्र ।

4. (i) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो––

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा कीनिया युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग) (घ) और (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता, प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता–प्रमाण पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें ।

आयु ।

5. ऐसा कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को या उससे पहले 21 वर्ष से कम अथवा 35 वर्ष से अधिक आयु का हो ;

परन्तु हरियाणा की अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की दशा में अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी । नियुक्ति प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 2 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव न रखता हो । अर्हताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति, — निरर्हताएं ।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ;

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

9. ऐसा कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह हरियाणा राज्य के किसी एक स्थायी चिकित्सा बोर्ड या किसी अन्य चिकित्सा बोर्ड, जैसा कि सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए, द्वारा मानसिक तथा शारीरिक तौर पर स्वस्थ प्रमाणित नहीं कर दिया जाता । चिकित्सा की दृष्टि से योग्यता ।

10. सेवा में भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी । भर्ती का ढंग ।

11. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे : परिवीक्षा ।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, जब तक वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है और इसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसे वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर पारित कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई हुई अवधि शामिल है, यदि कोई हो, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता । 12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम के अनुसार होगी ।

सेवा करने का दायित्व । 13. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो, अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन अथवा निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले ।

14. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि केअधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन, शास्तियां और अपीलें ।

15. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथासंशोधित पंजाब सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 1952, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में निर्दिष्ट हैं ।

(2) पंजाब सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 1952, के नियम 10 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए संक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में बताया गया हो ।

टीका लगवाना ।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा और पुन : टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति ।

18. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध ।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

20. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

प्राईवेट प्रैक्टिस ।

21. सेवा का कोई भी सदस्य प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा । प्राईवेट प्रैक्टिस के स्थान पर उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर प्रैक्टिस न करने का भत्ता दिया जाएगा ।

अतिरिक्त कर्त्तव्य ।

22. सेवा के सदस्यों से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे अतिरिक्त (दंत्य सेवा) कर्त्तव्य जो सरकार द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे जाएं, किसी प्रकार के अतिकालिक भत्ते के भुगतान के बिना पालन करेंगे ।

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

23. पंजाब स्वास्थ्य विभाग (श्रेणी/III) दंत्य सेवा नियम, 1964, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5
दंत चिकित्सक	9	35	44	रू० 2000-60-2300—EB—75-3200-100-3500

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई हों ।
1	2
दन्त चिकित्सक	(i) किसी मान्ता प्राप्त विश्वविद्यालय से दन्त शल्य चिकित्सा में स्नातक या दन्त विज्ञान या दन्त चिकित्सा में अनुज्ञप्ति धारी । (ii) दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948, के भाग "क" में दंत चिकित्सक के रूप में पंजीकृत । (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 15(1)]

पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
दंत चिकित्सक	सरकार	(क) वैयक्तिक फाईल पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ख) परिनिंदा ; (ग) वेतन वृद्धियां या पदोन्नति रोकना, जिसमें दक्षतारोध पर रोकना शामिल है ; (घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा सरकार को हुई 1000 रुपय तक की धन सम्बन्धी हानि की पूर्ण या उसके भाग की वेतन से वसूली ;	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा	सरकार
		(ङ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा सरकार को हुई 1000 रुपये से अधिक धन सम्बन्धी हानि की पूर्ण या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (च) निम्नतर पद पर या समय-मान में अवनति अथवा समयमान में निम्नतर क्रम पर अवनति ; (छ) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिए निरर्हित नहीं करता ; और (ज) सेवा से पदच्युति, जो भावी नियोजन के लिए सामान्यत : निरर्हित करती है ।	सरकार	

(9)

234

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 15(2)]

पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4
दन्त चिकित्सक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ।	सरकार	..
	(ii) सेवा के किसी सदस्य की, उसे अधिवार्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		

तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

(Authorised English Translation)

HARYANA GOVERNMENT

MEDICAL AND HEALTH DEPARTMENT

Notification

June 19, 1987

No. G.S.R. 54/Const./Art./309/87.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed, to the Haryana Health Department Dental (Group B) Service, namely:—

PART I—GENERAL

Short title. 1. These rules may be called the Haryana Health Department Dental (Group B) Service Rules, 1987.

Definition. 2. In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in service of the Government of India or any State Government;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(d) "recognised university" means—

(i) any University incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Panjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules; and

(e) "Service" means Haryana Health Department Dental (Group B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts. 3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules and the members of the Service shall draw pay in the scales of pay mentioned thereagainst:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is:— Nationality, domicile and character of candidates recruited to the service.

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyca and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d), and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquated with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 21 years or more than 35 years of age, on or before the last date of submission of applications to Commission: Age.

Provided that in the case of a person belonging to the Scheduled Castes or Backward Classes of Haryana, the upper age limit shall be such as may be fixed by the Government from time to time.

6. Appointments to all posts in the Service shall be made by the Government. Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 2 of Appendix B to these rules. Qualifications.

Disqualification.

8. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Medical fitness.

9. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is declared mentally and physically fit by one of the Standing Medical Boards in the State of Haryana or any other Medical Board as may be decided by the Government.

Method of recruitment.

10. Recruitment to the Service shall be made by direct recruitment.

probation.

11. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years:

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation:

(b) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) if, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of proabtion is not satisfactory, it may dispense with his services.

(3) On the completion of the period of probation of a person the appointing authority may—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory :—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in itsopinion been not satisfactory—

(i) dispense with his services ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

12. Seniority, interse of members of the Service shall be according to order of merit determined by the Commission. Seniority.

13. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the Government. Liability to serve.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

14. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature. Pay, Leave Pension and other matters.

15. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952, as amended from time to time : Discipline, penalties and appeals

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (a) of sub-rule (1) of rule 10 of the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1952, shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination. 16. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by a special or genera order.

Oath of allegiance. 17. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath or allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation. 18. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision. 19. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations. 20. Nothing contained in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and other Backward Classses in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time, under clause (4) of article 16 of the Constitution of India.

Private Practice. 21. No member of the Service shall do private practice. In lieu of private practice they shall be given non-practising allowance at the rates prescribed by Government from time to time.

Additional duties. 22. The members of Services shall be required to perform such additional (Dental Service) duties as may be assigned to them by the Government from time to time, without paying any overtime allowance.

Repeal and savings. 23. The Punjab Health Department (Class III) Dental Service Rules, 1964 are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
	Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5
Dental Surgeon ..	9	35	44	Rs. 2,000—60—2,300—EB—75—3,200—100—3,500.

APPENDIX B

(*See* rule 7)

Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any for direct recruitment
1	2
Dental Surgeon	(i) Bachelor of Dental Surgery or Licenciate in Dental Science or Licenciate in Dental Surgery of a recognised University. (ii) Registered as Dental Surgeon on Part 'A' of the Dentist Act, 1948. (iii) Knowledge of Hindi up to matric standard.

APPENDIX C

[*See* rule 15 (1)]

Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5
Dental Surgeon	Government	(a) warning with a copy on personal file ;	Director, Health Services Haryana.	Government
		(b) Censure ;		
		(c) withholding of increments or promotion, including stoppage at an efficiency bar ;		
		(d) recovery from pay of the whole or part or any pecuniary loss caused to the Government by negligence or breach of orders up to Rs. 1,000		
		(e) recovery from pay of the whole or part of any peruniary loss caused to the Government by negligence or breach of orders exceeding Rs. 1,000 ;	Government	
		(f) reduction to a lower post or time scale or to a lower stage in a time scale ;		
		(g) removal from the Service which does not disquailify from future employment ; and		
		(h) dismissal from the Service which does ordinarily disqualify from future employment.		

APPBNDIX D

[*See* rule 15 (2)]

Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4
Dental Surgeon	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary/ additional pension admissible under the rules governing pension (ii) Terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation	Government	..

TARSEM LAL,

Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Health Department.